

किसान वृद्धावस्था पेंशन के लिए

प्रार्थना-पत्र नियम (1) देखियें

ओ0ए0पी0(1)

पहली प्रति / दूसरी प्रति

1:- श्री / श्रीमतीपुत्र / पुत्री / पत्नी.....

2:- पूरा पताग्राम / मोहल्ला.....

ग्राम पंचायत.....ब्लाक.....

तहसीलजनपद.....

3:- आयुवर्ष(प्रार्थना-पत्र देने का दिनांक)

आयु को कोई प्रार्थना-पत्र नहीं है। प्रमाण की असल या नकल नत्थी करें।

4:- ये प्रार्थी के नीचे लिखे रिश्तेदार हैं और उनकी आयु दी जाती है :-

(क)पुत्रवर्ष.....(क)पुत्र का पुत्र.....वर्ष.....

(ख) पति / पत्नी.....वर्ष.....(ख) पति / पत्नी.....वर्ष.....

5:- पहचान का चिन्ह

यहां आवेदक की
प्रमाणित फोटो चस्पा
की जाय ।

प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र

6:- मैं प्रमाणित करता हूं / करती हूं कि :-

(क) मेरे गुजर बसर का कोई जरिया नहीं है आमदनी 1000 से अधिक नहीं है।

(ख) शारीरिक अक्षमता के कारण मैं अपना / अपनी जिविकोपार्जन करने में अस्मर्थ हूं।

(ग) मैं विस्थापित तथा दूसरी प्रदेश से आवासी हूं व उत्तर प्रदेश में तीन माह से रहा / रह रही हूं।

(घ) मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है जिसका अनुमानित मूल्य.....रु0 है ।

(ङ) मैं उत्तर प्रदेश का / की निवासी हूं और एक वर्ष से अधिक से उत्तर प्रदेश में रह रहा / रह रही हूं।

(च) क्या पहले कहीं नौकरी की है? यदि हां तो विवरण दे

(छ) क्या आपको आर्थिक सहायता पेंशन भी मिलती है ? यदि हां तो प्रतिमाह कितनी

प्रार्थी के हस्ताक्षर / निशानी अगूठा
बाया / दाया

फाडियें

श्री / श्रीमतीपुत्र / पुत्री / पत्नी.....

निवासी.....का प्रार्थना-पत्र आज दिनांक.....

को प्राप्त किया गया।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत.....ब्लाक.....जनपद.....के आदेश

- 1:- ग्राम पंचायत की खुली बैठक जो दिनांकको सम्पन्न हुई ये इस प्रार्थना-पत्र पर विचार हुआ।
- 2:- यह पाया गया कि प्रार्थी/प्रार्थिनी योजना सम्बन्धी सभी शर्तें पूर्ण करता/करती है।

अथवा

निम्न शर्तें पूरी नहीं करता/करती है।

- 1:- _____
- 2:- _____
- 3:- _____
- 4:- _____

3:- ग्राम पंचायत की बैठक में प्रार्थी/प्रार्थिनी को नियमानुसार वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया और आयु की वरीयता में प्रतिक्षा सूची में नाम क्रमांक.....पर दर्ज किया गया।

अथवा

प्रार्थना-पत्र अपात्र होने के कारण अस्वीकृत किया गया।

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर
दिनांक

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर
दिनांक

जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।